न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 63/2022 — दायर दिनांक 17.02.2022

वादी

1. प्रेमकंवर पत्नि स्व. डूंगरसिंह उम्र 76 वर्ष
2. महिपाल सिंह पुत्र डूंगरसिंह उम्र 45 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी गांवडी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पुष्पसिंह पुत्र भंवर सिंह
2. सायर सिंह पुत्र इन्द्रसिंह
3. दयाल सिंह पुत्र इन्द्रसिंह
4. भरत सिंह पुत्र स्व. ईश्वर सिंह
5. बाल कंवर बेवा स्व. ईश्वर सिंह
6. महावीर सिंह पुत्र डूंगरसिंह
7. किशोर सिंह पुत्र डूंगरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी गांवडी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
8. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील वादी।
2. श्री नागपाल सिंह वकील प्रतिवादी सं0 05 ता 07 की ओर से।

—: निर्णय :—

दिनांक 14.05.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीनी व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति पुराना खसरा सं0 64 रकबा 63 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं0 64/199 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 64/202 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 64/203 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 64/204 रकबा 11 बीघा, खसरा सं0 136 रकबा 32 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 136/231 रकबा 07 बिस्वा कुल रकबा 112 बीघा 15 बिस्वा तथा खसरा सं0 131 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा व खसरा सं0 131/1 रकबा 09 बिस्वा गै0मु0 बेरा कुल रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा यानि 10 बीघा 16 बिस्वा (कुआ खसरा सं0 131/1 को छोड़कर) कुल रकबा 123 बीघा 11 बिस्वा है। सम्वत् 2046 से 2049 की प्रमाणित प्रति वाद के साथ प्रस्तुत है।

यह है कि वादी नाथूसिंह के वारिस मुकन सिंह के वारिसान भंवरसिंह व सायर कंवर नाऔलाद फौत हुए। जिनकी सम्पूर्ण पैतृक सम्पति पर स्व0 नाथूसिंह के पुत्रगण स्व. इन्द्रसिंह व स्व0 ईवर सिंह के वारिसान को 1/2—1/2 हिस्सा प्राप्त हो चुका है।

यह है कि उपरोक्त वर्णित पुराने खसरा सं0 के वर्तमान खसरा सं0 208/465 रकबा 1.7800 हैक्टे0 के गत खसरा सं0 64 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, वर्तमान खसरा सं0 418 रकबा 1.2800 हैक्टे0 के गत खसरा सं0 136, वर्तमान खसरा सं0 418 रकबा 1.2800 हैक्टे0 के गत खसरा सं0 136, वर्तमान खसरा सं0 411 रकबा 0.5800 हैक्टे0 के गत खसरा सं0 131/300 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा, वर्तमान खसरा सं0 419 रकबा 2.4000 हैक्टे0 के गत खसरा सं0 136/300 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा, वर्तमान खसरा सं0 164 रकबा 0.1900 हैक्टे0 के गत खसरा सं0 64/202 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा वर्तमान खसरा सं0 172 रकबा 0.4200 [illegible] 02 बीघा 12 बिस्वा, वर्तमान खसरा सं0 208/463 [illegible] के गत खसरा सं0 64/271 रकबा 7 बीघा 01 बिस्वा वर्तमान [illegible] रकबा 0.1400 हैक्टे0 के गत खसरा सं0 [illegible] खसरा सं0 414 रकबा 0.4400 [illegible] रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा वर्तमान खसरा सं0 162 रकबा 0.1900 [illegible] के गत खसरा सं0 64/201 रकबा 18 बिस्वा, वर्तमान खसरा सं0 205 [illegible] 1.1300 हैक्टे0 के गत खसरा सं0 64/200 रकबा 7 बीघा वर्तमान खसरा सं0 207 रकबा 1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

8600 हैक्टे0 के गत खसरा सं0 64 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, वर्तमान खसरा सं0 209 रकबा 5.8700 हैक्टे0 के गत खसरा सं0 64/273 रकबा 36 बीघा 06 बिस्वा, वर्तमान खसरा सं0 328 रकबा 0.2300 हैक्टे0, के गत खसरा सं0 64/199 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा तथा वर्तमान खसरा सं0 415 रकबा 0.5800 हैक्टे0 के गत खसरा सं0 131/301 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा है। वर्तमान खसरा सं0 208 रकबा 1.3800 हैक्टे0, खसरा सं0 420 रकबा 1.6400 हैक्टे0 व खसरा सं0 421 रकबा 0.0600 हैक्टे0 कुल रकबा 3.0800 हैक्टे0 की भूमि भी पैतृक है, जिसकी खसरा मिलान की नकले पेश है। वर्तमान ख0 सं0 412 रकबा 0.0800 हैक्टे0 है।

यह है कि वादग्रस्त सम्पूर्ण पैतृक सम्पति की भूमि उपरोक्त वर्णित 123 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से वादी व प्रतिवादीगण महावीरसिंह व किशोरसिंह, प्रेम कंवर तथा प्रतिवादी पुष्पसिंह, सायर सिंह व दयाल सिंह 1/2 हिस्सा जन्म से है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी भरत सिंह व बालकंवर का है एवं ईश्वरसिंह द्वारा अपने हिस्सो में से बैचाण वादी के पिता के पक्ष में 08 बीघा कर दी, जिस पर वादी काबिज है तथा वादीगण व उसके भाईयों का 1/2 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा पर आज भी काबिज है। जिसे अनुसार आज भी पक्षकारान अपने-अपने हिस्सो पर काबिज है। मगर उक्त भूमि का अभी तक विधिवत बंटवाड़ा नही हुआ है। वादी व उके भाई अपनी सुविधा के अनुसार काश्त करते आये है।

यह है कि वादीगण के पिता व पति स्व0 डूंगरसिंह ने अपने जीवनकाल में अपने भाईयों से अलग होने के बाद वाके सरहद गांवड़ी खेत खसरा सं0 64/200 रकबा 07 बीघा के वर्तमान खसर सं0 205 रकबा 1.1300 हैक्टे0 व खसरा सं0 64/201 रकबा 18 बिस्वा के वर्तमान खसरा सं0 162 रकबा 0.1500 हैक्टे0 कुल रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा चौथुराम पुत्र खेताराम से उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति वाद के साथ पेश है। इसके अलावा स्व0 डुंगरसिंह अपने काका स्व0 ईश्वरसिंह से वाके शरहद गांवड़ी खेत खसरा सं0 64 के वर्तमान खसरा 0 207 उनके हिस्सा में से 08 बीघा भूमि जरिये लिखित बैचाण में दर्ज पड़ौस के मध्य की दिनांक 11.4.1983 को सम्पूर्ण रकम अदा कर खरीद कर ली व कब्जा प्राप्त कर लिया। उक्त भूमि पैतृक सम्पति की होने से एवं स्व0 ईश्वरसिंह सगा काका होने से उक्त 08 बीघा भूमि का बैचाण नही करवाया। मगर उक्त भूमि पर वादी अपने पिता के समय से काबिज है। लिखत बैचाण दिनांक 11.04.1983 की छायाप्रति वाद के साथ पेश है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :-

यह है कि वाकै शरहद गांवड़ी उपरोक्त वर्णित तथा नजरी नक्शा अनुसूची "अ" के अनुसार विधिवत बंटवाड़ा कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जवें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान को सुना गया। प्रतिवादी सं0 05 ता 07 का इकबालिया जबाब व वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 04 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 08 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कलेक्टर (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

–: आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम गांवड़ी के पुराने खसरा सं0 64, 64/199, 64/202, 64/203, 64/204, 136, 136/231, 131, 131/1 में नजरी नक्शा व राजीनामा में वर्णितानुसार बंटवाड़ा कर पृथक–पृथक खातेदार दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **14.05.2022** को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **63/2022** दायर दिनाँक **17.02.2022**

वादी

1. प्रेमकंवर पत्नि स्व. डुंगरसिंह उम्र 75 वर्ष
2. महिपाल सिंह पुत्र डुंगरसिंह उम्र 45 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी गांवड़ी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. पूष्पसिंह पुत्र भंवर सिंह
2. सायर सिंह पुत्र इन्द्रसिंह
3. दयाल सिंह पुत्र इन्द्रसिंह
4. भरत सिंह पुत्र स्व. ईश्वर सिंह
5. बाल कंवर बेवा स्व. ईश्वर सिंह
6. महावीर सिंह पुत्र डुंगरसिंह
7. किशोर सिंह पुत्र डुंगरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी गांवड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
8. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **14.05.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील वादी व श्री नागपाल सिंह वकील प्रतिवादी सं0 05 ता 07 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम गांवड़ी के पुराने खसरा सं0 64, 64/199, 64/202, 64/203, 64/204, 136, 136/231, 131, 131/1 में नजरी नक्शा व राजीनामा में वर्णितानुसार बंटवाड़ा कर पृथक–पृथक खातेदार दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाता है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **14.05.2022** को राष्ट्रीय लोक अदालत में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन जो कि डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:49:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner